फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दुर्गेश क्रेशिग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल साहू बनाम विपक्षी : श्री कालु व अन्य
किस्म मुकदमा – 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 98/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 22.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता पर जवाब पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रकरण मे मौके की रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है जो पत्रावली पर उपलब्ध है ऐसी स्थिति मे नवीन मौका रिपोर्ट मगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पाया कि प्रकरण में तहसीलदार कानोड से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिससे पृथक से रिपोर्ट मंगवाई जाने की आवश्कता नहीं हैं। विपक्षी अन्य साक्ष्य अपने स्तर पर सकलित करें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नियमों के विरुद्ध पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है लेकिन प्रार्थी के पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की आराजीयात में क्रेशिग प्लांट संचालित हो रहा है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास रास्ता उपलब्ध है वह इसका उपयोग–उपभोग कर रहा है ऐसी स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि किसी भी खातेदार को अपनी भूमि पर पहुंचने के लिये रास्ते हेतु धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच का सुगम रास्ता नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी रास्ता कायम कराने का अधिकारी है। विपक्षी द्वारा यह कही दर्शित नहीं किया गया की वैकल्पिक रास्ता कहा उपलब्ध है सिर्फ मौखिक कथन कहें गये है जिससे विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर प्रार्थी की खातेदारी आराजी न. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 2063/143 किता 12 रकबा 2.5677 हैक्टयर भूमि में आने–जाने के लिये विपक्षी की आराजी न. 105, 131 में से 30 फिट चौडा रास्ता कायम कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम वरनोदा पटवार मण्डल मोतीदा की जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में नया खाता संख्या 152 पुराना खाता संख्या 120

मे आराजी संख्या 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 व 2063,
किता12 रकबा 2.5677 है. भूमि प्रार्थी श्री दुर्गेश क्रशिंग प्लांट भीण्डर द्वारा राजय पित
साहु सा भीण्डर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम वरनोदा कि पटवार मण्डल
जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 की खाता संख्या 111 पुराना 130 पर दर्ज आंशिक आराजी
किता 2 रकबा 0.3900 है. भूमि क्रमशः कालु पिता सवा 1/2, गंगाराम पिता सवा 1/
पिता सवा, नाना पिता सवा 1/7, बावरू पिता सवा 1/7, मु. बगतुडी पत्नी सवा 1
पिता सवा 1/7 समस्त जाति रावत सभी कलकीपुरा खातेदार व राजमल पिता गंगार
जाति मीणा सा. देह खातेदार विपक्षीगण की सामलाती खातेदारी भूमि के रूप दर्ज
तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 105, 131 में से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रस्तावि
तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता आराजी
रकबा 0.1200 है. किस्म गै.मु.रास्ता से लगता हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी प
में क्रंशिग प्लांट संचालित है।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिय
का पेश कर प्रार्थी की आराजी तक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी का प्र
अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किये जाने का निवेद
प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी की खातेदारी
पर वर्तमान में क्रंशिग प्लांट संचालित है जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की
आराजी तक पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे नया रास्ता कायम किये जाने
आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 'ए' में स्पष्ट प्रावधान है कि
को अपनी कृषि भूमि पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलबध नहीं होने की स्थिति में रास
जाना आवश्यक है किन्तु उक्त प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्प
है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर क्रंशिग प्लांट संचालित है जिससे सपष्ट है कि
अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे रास्
जाना उचित नहीं है।

अतः विपक्षी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार
पाया जाता है।

-: : आदेश : :-

परिणामस्वरूप विपक्षी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहि
स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश
अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:53 IST
Reason: SelfAttested